न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावास0 05/11

1–वृजेन्द्रसिह पुत्र श्री स्व रामप्रसाद जाति ठाकुरा निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1– महेन्द्रसिह आयु 75 साल पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास
2–हाकिमसिह पुत्र रामप्रसाद मृतक
2/1– मुन्नी देवी पत्नि हाकिमसिह
2/2–रामपाल ।
2/3–श्यामपाल ।
2/4–विजयपाल ।पिसरान हाकिम सिह जाति ठाकुर निवासी बरबार
2/5–प्रेमपाल । तहसील रूपवास जिला भरतपुर
2/6–गंगासिह ।
2/7– गुडडी पुत्री हाकिमसिह पत्नि शैलेन्द्र जाति ठाकुर निवासी पुराना बिजलीघर भरतपुर

प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी.आर0मीना0 आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1–श्री के0के0शर्मा अभिभाषक वादी
2– श्री जयप्रकाश शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 2.4.18

प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है। वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीऐ के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है । विवादित आराजी खसरा न0 571/27–12, 572/32–04 बीघा बाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में स्थित है। जो कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी काश्तकारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण का सम्वत 2012 से पूर्व से ही सयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं सँवत 2012 से पूर्व ही विवादित आराजी दो भागो में विभाजित थी जिसमें एक भाग खसरा न.उ 571/15–17, 572/15–00 बीघा जिसमें से 1/3 भाग का अप्रार्थी स0 9 व1/3 भाग का कुम्हेरसिह पुत्र भोलाराम ठाकुर व शेष 1/3 भागके प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1अप्रार्थी स0 2 लगायत 6 व 8 का पिता व अप्रार्थी स0 7 का पति हाकिमसिह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी थे इसी प्रकार दूसरे भाग खसरा न0 571/12–00,572/17–04 बीघा में से 1/3 भाग का अप्रार्थी स0 9 व 1/3 भाग के प्रकाश, कुम्हेरसिह व लाखनसिह पुत्रान भोलासिह बहिस्सा बराबर के तथा शेष 1/3 भाग के निस्फ प्रतिवादी स0 10 व 11 के पिता व प्रतिवादी स0 12,13,14, के बाबा नबाबसिह

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

वप्रतिवादी स0 15 के पिता छत्तरसिह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार एव काबिज आराजी चले आ रहे है । प्राथी का आज भी अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर कब्जा है । प्रार्थी एक सीधा साधा व्यक्ति है। जबकि अप्रार्थी स0 1व अप्रार्थी स0 2लगायत 6का पिता 0 7 का पति हाकिमसिह राजकार्य में दक्ष थें व कर्ता खानदान थे प्रार्थी की स्थिति का फायदा उठाते हुये व प्रार्थी से छिपाते हुये बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से अप्रार्थी स0 1 व हाकिमसिह ने राजस्व कर्मचारियो से साठगॉठ कर आराजी स0 571मिन1/18–08, 572/21–10 में से 1/2 हिस्सा में सरदार पुत्र नेकराम तथा शेष 1/2 हिस्सा में महेन्द्र नवाव हाकिमसिह पुत्रान रामप्रसाद व संतराम पुत्र छत्तरसिह वाहिस्सा बराबर तथा खसरा न0 571/2–17 में से 1/2 हिस्सा सरदार पुत्र. नेकराम व 1/2 हिस्सा में महेन्द्र विजेन्द्र व हाकिमसिह पुत्रान रामप्रसाद बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया है दिनांक 4–1–11 को जब प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी में खड़ी फसल को देखने गया तो अप्राथ्री स0 1लगायत 8 मौके पर आ गये और ऐलानियॉ धमकी दी कि हमने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर विवादित आराजी को अपने राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दज करवालिया हैं तुम्हारा इस विवादित आराजी में कोई अधिकार नही रहा है। अब हम तुमको विवादित आराजी में काश्त नहीं करने देगें । किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल कर देगें । इस बात को सुनकर प्रार्थी भयभीत हो गया । यदि अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाइ निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र लाया जाना आवश्यक हो गया है। प्राइमाफैसी केस, सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्राथ्री के पक्ष में बखुबी साबित है।

अतःप्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय से पावन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजी खसरा न0उ571मिन1/18–08,572/21–10 वाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और नाही विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करते हुये तलब किया गया । अप्रार्थी स0 2लगायत 7 ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र की मद स0 1 प्राथनिापत्र पेश होना स्वीकार हे अन्य तथ्य स्वीकार नही है। मद स0 2 आशिक स्वीकार है मद स0 3,4,5 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वे स्वीकार नहीं है । अपने विशेष विवरण में निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 571 का कुल रकवा 36–02 बीघा है ।व खसरा न0 572 का 32–04 बीघा है । जिसके सहखातेदारी के मध्यराजस्व रिकार्ड में व मौके पर विभाजन हो रहा है । उक्त विवादित आराजी कुल रकवा 68–06 बीघा मौके पर मनवट के हिसाब से पचासो साल से 13 हिस्सा हो रहे हैं जिनमें से 4 हिस्से अप्रार्थी स0 9 सरदारसिह के हिस्से के वएक हिस्सा प्रतिवादी स0 12 लगायत 14 व 11 व 01 हिस्सा महेन्द्रसिह व एक हिस्सा अप्राथ्री स0 2 लगायत 6 व 01 हिस्सा उदयवीरसिह का व 01 वीरेन्द्रसिह व सुनील कुमार का तथा एक हिस्सा रामवीरसिह पुत्र लाखनसिह का है । इसी प्रकार सभी खातेदार अपने

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । प्रार्थी ने सभी काश्तकारो को हाजा मुकदमा नहीं बनाया गया है अतः प्रार्थनापत्र इसी विनाय पर खारिज किये जाने योग्य है ।

प्राइमाफैसी केस सुबिधा का सन्तुलन के बिन्दू प्रार्थी के साबित नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी सावित है ।

योग्य अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई ।

प्त्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया व राजस्व रिकार्ड का मिलान किया गया । प्राईमाफैसी केस, सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि इस न्यायालय के द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31–01 2011 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास